भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5636
04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग प्रणाली

5636. श्री दुलू महतोः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झारखंड में भूतपूर्व सैनिकों सहित पेंशनभोगियों के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग प्रणाली लागू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रणाली के माध्यम से पेंशन वितरण को किस प्रकार आसान बनाया जा रहा हैं;

(ग) झारखंड में पंजीकृत सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों का ब्यौरा क्या है तथा 'सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन-रक्षा' पोर्टल के माध्यम से पेंशनभोगियों के पंजीकरण में शामिल संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या झारखंड में उक्त पोर्टल के माध्यम से पेंशनभोगियों को शिकायत निवारण तथा आवेदन ट्रैकिंग की सुविधाएं मिल रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) जी हां, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन "रक्षा" (स्पर्श) अक्टूबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग प्रणाली के रूप में क्रियान्वित किया गया है जिसमें झारखंड भी शामिल है।

(ख) वर्ष 2020 तक 32 लाख रक्षा पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी पूरे भारत में फैले 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको, 3 निजी क्षेत्र के बैंकों, 26 कोषागारों, 64 रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालयों (डीपीडीओ), 1 डाकघर, 5 वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पीएओ) के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

अब, अक्टूबर, 2020 से स्पर्श [सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा)] के क्रियान्वयन से पेंशन दावे की शुरूआत से लेकर संवितरण और पेंशन व्यय के लेखाकरण तक पेंशन प्रक्रिया की सभी आवश्यकताओं के लिए एक संपूर्ण समाधान स्थापित किया गया है। इस पहल के केंद्र में, रक्षा पेंशनभोगी हैं, जिन्हें एक पारदर्शी प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है जिसमें पेंशनभोगी के पेंशन की तिथि से लेकर उसके अंतिम पात्र लाभार्थी को देय पेंशन के समाप्त होने की तिथि तक के पूरे घटनाक्रम का इतिहास और पेंशनभोगी की पात्रताओं का लेखा-जोखा होता है।

स्पर्श पोर्टल पर प्रदर्शित पेंशनभोगी को एक पीपीओ संख्या आवंटित की जाती है और उसमे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी/पासवर्ड के साथ एक एसएमएस भेजा जाता है जिससे वे अपने लॉगिन के माध्यम से स्पर्श पोर्टल का अपयोग कर सकें। स्पर्श पेंशनभोगी को उनकी पात्रता और भुगतान के बारे में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। स्पर्श पोर्टल के माध्यम से पेंशनभोगी को निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं:-

1. मैनुअल सर्टिफिकेट आधारित प्रक्रिया या आधार आधारित डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र की पहचान करना और उपलब्ध कराना।
2. पेंशनभोगी के प्रोफाइल का प्रबंधन।
3. संवितरण संबंधी सेवाएः- स्पर्श लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भुगतान करता है।
4. सेवा अनुरोधः- पेंशनभोगी द्वारा अपने समर्पित पोर्टल अकांउट के माध्यम से कई प्रकार के प्रकार्य जैसे वार्षिक पहचान, पुनः रोजगार अनुरोध, निवेश घोषणा, प्रोफाइल अद्यतन अनुरोध इत्यादि किए जा सकते हैं।

पारस्परिक शिकायत प्रबंधनः- पेंशनभोगी अपने पोर्टल अकांउट के माध्यम से भुगतान, पेंशनभोगी प्रोफाइल, पेंशन मंजूरी और संशोधन इत्यादि से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों के संबंध में हितधारकों द्वारा दी गई निपटान टिप्पणियां पेंशनभोगी देख सकते हैं। पेंशनभोगी अपने पोर्टल अकांउट के माध्यम से शिकायत की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

(ग) झारखंड राज्य में बैंकों से स्पर्श के माध्यम से पेंशन अहरित करने वाले सशस्त्र बल पेंशन भोगियों की कुल संख्या 26,967 है। झारखंड में रक्षा पेंशनभोगियों को सहायता और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 113 स्पर्श सेवा केंद्र (डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट (डीएडी-02, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)-31, बैंक 80) स्थित हैं।

(घ) और (ङ) स्पर्श पोर्टल सर्विस शिकायत निवारण और आवेदन पत्र ट्रैक करने से संबंधित सहायता उपलब्ध कराता है। ये सेवाएं झारखंड के रक्षा पेंशनभोगियों के लिए भी उपलब्ध हैं।

*****